भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 174
जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में रिक्तियां

174. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, विशेषकर तमिलनाडु में कितनी रिक्तियां हैं;

(ख) उक्त रिक्तियों के लिए कितने प्रस्तावों की सिफारिश की गई है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने उक्त प्रस्तावों की सिफारिश कब से की है ;

(घ) क्या सरकार को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों में विलंब की जानकारी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विलंब को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ङ) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : तारीख 29.01.2024 तक 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के सामने उच्चतम न्यायालय पूर्ण पदसंख्या से कार्यकर रहा है और कोई रिक्ति नहीं है । जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1114 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के सामने 783 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 331 पद रिक्त हैं । तारीख 29.01.2024 तक स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्ति के उच्च न्यायालय-वार ब्यौरे **उपाबंध** पर है । मद्रास उच्च न्यायालय के 75 न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के सामने 67 न्यायाधीशों की पदसंख्या से कार्य कर रहा है, न्यायाधीशों की 8 रिक्तियां भरी जाना बाकी है । 8 रिक्तियों में से, न्यायाधीशों के 4 पदों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सरकार के पास विभिन्न चरणों में विचाराधीन है । शेष रिक्तियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होना बाकी है ।

29.01.2024 तक, विभिन्न उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 145 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । इन 145 प्रस्तावों में से, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह लेने के लिए 84 प्रस्ताव भेजे गए थे जिनमें से 65 प्रस्तावों पर

एससीसी ने सलाह दी है जो सरकार में प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है । 19 प्रस्ताव एससीसी के विचाराधीन है । एससीसी की सलाह लेने के लिए हाल ही में प्राप्त 61 नए प्रस्ताव प्रक्रियागत हैं । शेष 186 रिक्तियों के संबध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होना बाकी है । न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए 7 प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और 28 अक्तूबर, 1998 की उनकी सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामले) के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के फैसले (द्वितीय न्यायाधीश मामले) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आंरभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कीरिक्ति होने से छह मास पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिक्ति को भरने के प्रस्ताव को आरंभ करना अपेक्षित है । तथापि, उच्च न्यायालयों द्वारा अकसर इस समयसीमा का पालन नहीं किया जाता है । उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए सभी नामों को सरकार के विचारों के साथ सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजा जाता है । तथापि, सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त करती है जिनकी एससीसी द्वारा सिफारिश की जाती है ।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है । कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोगकारी प्रक्रिया के परिणामस्वरुप, वर्ष 2022 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और वर्ष 2023 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 110 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 34 न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया है ।

****

उपाबंध

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों (29.01.2024 तक) में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण ।

		स्वीकृत पदसंख्या			कार्यरत पदसंख्या			रिक्तियां		
क.	**उच्चतम न्यायालय**	**34**			**34**			**0**		
ख	**उच्च न्यायालय**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**अति.**	**स्था.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**
1	इलाहाबाद	119	41	160	76	14	90	43	27	70
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	22	8	30	6	1	7
3	बॉम्बे	71	23	94	40	29	69	31	-6	25
4	कलकत्ता	54	18	72	37	14	51	17	4	21
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	10	6	16	7	-1	6
6	दिल्ली	46	14	60	37	5	42	9	9	18
7	गुवाहाटी	22	8	30	16	7	23	6	1	7
8	गुजरात	39	13	52	31	0	31	8	13	21
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	12	0	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	11	4	15	2	0	2
11	झारखंड	20	5	25	17	1	18	3	4	7
12	कर्नाटक	47	15	62	39	12	51	8	3	11
13	केरल	35	12	47	32	4	36	3	8	11
14	मध्य प्रदेश	39	14	53	39	1	40	0	13	13
15	मद्रास	56	19	75	54	13	67	2	6	8
16	मणिपुर	4	1	5	4	0	4	0	1	1
17	मेघालय	3	1	4	2	1	3	1	0	1
18	ओड़िशा	24	9	33	20	0	20	4	9	13
19	पटना	40	13	53	35	0	35	5	13	18
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	41	15	56	23	6	29
21	राजस्थान	38	12	50	34	0	34	4	12	16
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	21	5	26	11	5	16
24	त्रिपुरा	4	1	5	4	1	5	0	0	0
25	उत्तराखंड	9	2	11	6	0	6	3	2	5
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**643**	**140**	**783**	**197**	**134**	**331**

****